

मध्यप्रदेश विधान सभा



दिसम्बर, 2012 सत्र

दैनिक कार्य सूची

बुधवार, दिनांक 5 दिसम्बर, 2012 (अग्रहायण 14, 1934)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. अध्यादेशों का पटल पर रखा जाना

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, विधि और विधायी कार्य मंत्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 की अपेक्षानुसार –

- (1) मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन अध्यादेश, 2012 (क्रमांक 4 सन् 2012),
- (2) सांची बौद्ध तथा भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय अध्यादेश, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2012),
- (3) मध्यप्रदेश वेत (संशोधन) अध्यादेश, 2012 (क्रमांक 6 सन् 2012); तथा
- (4) मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवम् डक्ट (भूमि की उपयोगिता के अधिकारों का अर्जन) अध्यादेश, 2012 (क्रमांक 7 सन् 2012)

पटल पर रखेंगे.

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, विधि और विधायी कार्य मंत्री, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (क्रमांक 39 सन् 1987) की धारा 28 की अपेक्षानुसार विधि और विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17 (ई)-323-2010-इक्कीस-ब (दो), दिनांक 6 सितम्बर, 2012 पटल पर रखेंगे.

(2) श्री जयंत मलैया, पर्यावरण मंत्री, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 39 (2) तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 35 (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2011-2012 पटल पर रखेंगे.

(3) श्री करण सिंह वर्मा, राजस्व मंत्री -

(क) मध्यप्रदेश वासस्थान दखलकार (भूमि स्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम, 1980 (क्रमांक 4 सन् 1980) की धारा 10 की अपेक्षानुसार राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-16-2-2012-सात-शाखा-2-ए, दिनांक 23 अगस्त, 2012, तथा
(ख) मध्यप्रदेश ग्रामों में की दखल रहित भूमि (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1970 (क्रमांक 26 सन् 1970) की धारा 6 की अपेक्षानुसार राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-16-5-2012-सात-शाखा-2-ए, दिनांक 22 सितम्बर, 2012 पटल पर रखेंगे.

(4) श्री राजेन्द्र शुक्ल, ऊर्जा मंत्री –

(क) विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 105 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2011-2012

(ख) विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 104 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग के वर्ष 2011-2012 के अंकेक्षित लेखों के प्रतिवेदन, तथा

(ग) विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 182 की अपेक्षानुसार ऊर्जा विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनाएं -

(i) क्रमांक 700/म.प्र.वि.नि.आ./2012, दिनांक 14 मार्च, 2012 शुद्धि पत्र,

(ii) क्रमांक 1115/म.प्र.वि.नि.आ./2012, दिनांक 9 अप्रैल, 2012,

(iii) क्रमांक 1191/म.प्र.वि.नि.आ./2012, दिनांक 13 अप्रैल, 2012,

(iv) क्रमांक एफ-2-4, 2012 –तेरह, दिनांक 7 जून, 2012,

(v) क्रमांक 2026/म.प्र.वि.नि.आ./2012, दिनांक 30 जून, 2012,

(vi) क्रमांक 2462/म.प्र.वि.नि.आ./2012, दिनांक 17 अगस्त, 2012, तथा

(vii) क्रमांक 2525/म.प्र.वि.नि.आ./2012, दिनांक 24 अगस्त, 2012,

पटल पर रखेंगे.

(5) श्री कन्हैयालाल अग्रवाल, राज्यमंत्री सामान्य प्रशासन –

(क) भारत के संविधान के अनुच्छेद 323 (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग का 55 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2011-2012 (दिनांक 1-4-2011 से 31-3-2012) तथा वर्ष 2011-2012 का स्पष्टीकरणात्मक ज्ञापन, तथा

(ख) मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) की धारा 19 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 की धारा 19 के अन्तर्गत अठारहवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2011 पटल पर रखेंगे.

4. जुलाई, 2012 सत्र निर्धारित अवधि के पूर्व स्थगित हो जाने के फलस्वरूप शेष दिनाकों के प्रश्नोत्तरों का संकलन तथा इसी सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना.

5. नियम 267-क के अधीन जुलाई, 2012 सत्र में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना.

6. राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना.

7. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री आरिफ अकील, डॉ. गोविन्द सिंह, श्री विश्वास सारंग, सदस्य, भोपाल के साई बाबा नगर स्थित पानी की टंकी धराशाई होने से उत्पन्न स्थिति की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(2) श्री राधेश्याम पाटीदार, सदस्य, मंदसौर जिले के सुवासरा क्षेत्र में विद्युत ट्रांसफार्मर जलने से कृषकों को क्षति होने की ओर ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

8. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 7 दिमनी से निर्वाचित सदस्य, श्री शिवमंगल सिंह तोमर को विधान सभा के दिसम्बर, 2012 सत्र की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा।

9. सभापति तालिका की घोषणा.

10. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया, सभापति, प्रत्यायुक्त विधान समिति का तृतीय प्रतिवेदन तथा चतुर्थ कार्यान्वयन प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

11. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री बृजेन्द्र सिंह मलाहेड़ा(बिज्जु बना), सदस्य, नीमच जिले के –

- (क) ग्राम मदाना की बंजारा बस्ती में आंगनवाड़ी भवन निर्माण किये जाने,
- (ख) ग्राम अलहेड़ से बालाजी मंदिर तक मार्ग निर्माण किये जाने, तथा,
- (ग) ग्राम धाऊखेड़ी को राजस्व ग्राम घोषित किये जाने,

(2) श्री दीपक सक्सेना, सदस्य, छिंदवाड़ा जिले के –

- (क) ग्राम कुकड़ाजगत के शा. उ. मा. वि. का भवन निर्माण किये जाने,
- (ख) ग्राम नौनियाकरवल के शा. उ. मा. वि. का भवन निर्माण किये जाने,
- (ग) ग्राम बनगांव के शा. उ. मा. वि. का भवन निर्माण किये जाने, तथा
- (घ) ग्राम खजरी के शा. उ. मा. वि. का भवन निर्माण किये जाने,

(3) डॉ.(श्रीमती) विनोद पंथी, सदस्य, सागर जिले के –

- (क) ग्राम आमखेड़ा से प्राथमिक शाला तक मार्ग निर्माण किये जाने,
- (ख) बीना नगर स्थित चन्द्रशेखर कालोनी में विद्युत व्यवस्था किये जाने,
- (ग) ग्राम मुंगावली, मदाना सुल्तान मढ़नी में शमसान घाट पर शेड निर्माण किये जाने, तथा
- (घ) ग्राम मुहली, मुहक्कम अनुसूचित जाति की बस्ती में हैण्ड पंप खनन किये जाने,

(4) श्री नारायण सिंह पट्टा, सदस्य, मण्डला जिले के –

- (क) ग्राम रहंगी में हैण्ड पंप खनन किये जाने,
- (ख) ग्राम ऐरी में विद्युतीकरण किये जाने,
- (ग) ग्राम नाहरवेली के वार्ड क्र. 1 ठाकुरटोला में हैण्ड पंप खनन किये जाने, तथा
- (घ) ग्राम नाहरवेली वार्ड क्र. 1 में सी.सी. रोड निर्माण किये जाने,

(5) श्री चेताराम मानेकर, सदस्य, बैतूल जिले के –

- (क) ग्राम बारछी से सोनेगांव के बीच रपटा निर्माण किये जाने,
- (ख) ग्राम जम्बाड़ी के बेल नदी पर स्टाप डेम निर्माण किये जाने,
- (ग) ग्राम सोभलापुर से पस्तलाईमाल तक मार्ग निर्माण किये जाने, तथा
- (घ) ग्राम खापा खतेड़ा से पी.डब्लू.डी. रोड तक मार्ग निर्माण किये जाने,

(6) श्री अलकेश आर्य, सदस्य, बैतूल जिले के –

- (क) ग्राम बरसाली में रपटा निर्माण किये जाने, तथा
 - (ख) विकासखण्ड सोहागपुर से आसल बाजपुर तक मार्ग निर्माण किये जाने,
- के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे।

12. संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री, दिनांक 23 फरवरी, 2012 को पूछे गये परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 61 (क्रमांक 1032) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य देंगे।

13. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री जगन्नाथ सिंह, श्रम मंत्री, मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 25 सन् 2012) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे।

(2) श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, उच्च शिक्षा मंत्री, मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक, 2012 (क्रमांक 26 सन् 2012) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे।

(3) श्री बाबूलाल गौर, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री, मध्यप्रदेश नगर पालिक विधि (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 27 सन् 2012) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे।

(4) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, आवास मंत्री, मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 28 सन् 2012) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे।

(5) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री, मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 29 सन् 2012) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे।

(6) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, विधि और विधायी कार्य मंत्री, न्यायालय फीस (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 30 सन् 2012) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे।

(7) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, विधि और विधायी कार्य मंत्री, मध्यप्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 31 सन् 2012) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे।